

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संख्या :- 17-योजना (विविध)-49/2018.....1680

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0  
निदेशक,  
भू-अभिलेख एवं परिमाण,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्ता-सह- बन्दोबस्त पदाधिकारी,  
मुंगेर, नालन्दा, शेखपुरा, सारण, भागलपुर, दरभंगा,  
लखीसराय, अररिया, गया, जहानाबाद, अरवल,  
औरंगाबाद, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी,  
पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी), पूर्णियाँ, नवादा, जमुई एवं बाँका।

पटना, दिनांक : 31-10-2018

विषय :- बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के अन्तर्गत हवाई फोटोग्राफी कार्य में संलग्न एजेंसी को भुगतान हेतु चेक/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के अन्तर्गत हवाई फोटोग्राफी कार्य में संलग्न एजेंसी को भुगतान हेतु चेक/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से राशि का आवंटन वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्न प्रकार से निर्गत किया जाता है।

क्र0सं0	जिला का नाम	संबंधित एजेंसी का नाम	चेक/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उपलब्ध करायी गई राशि
1	2	3	4
1	मुंगेर	IL&FS Environmental Infrastructure & Services Ltd.	2352409 / -
2	नालन्दा		393817 / -
3	शेखपुरा		186263 / -
4	सारण		9438526 / -
5	भागलपुर		9585552 / -
6	दरभंगा		4644259 / -
7	लखीसराय	IIC TECHNOLOGIES LIMITED HYDRABAD	306115 / -
8	अररिया		424356 / -
9	गया		672129 / -
10	जहानाबाद		4436394 / -
11	अरवल		3017213 / -
12	औरंगाबाद		649265 / -
13	वैशाली		293134 / -
14	शिवहर		2097566 / -
15	सीतामढ़ी		278904 / -

क्र०सं०	जिला का नाम	संबंधित एजेंसी का नाम	चेक/आर०टी०जी०एस० के माध्यम से उपलब्ध करायी गई राशि
1	2	3	4
16	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	IIC TECHNOLOGIES LIMITED HYDRABAD	397146 / -
17	पूर्णियाँ		202423 / -
18	नवादा	GIS CONSORTIUM PRIVATE LIMITED, NOIDA	3964423 / -
19	जमुई		1221142 / -
20	बाँका		3026226 / -
कुल योग :-			47587252 / -
(चार करोड़ पचहत्तर लाख सतासी हजार दो सौ बावन रुपये मात्र)			

2. यह चेक/आर०टी०जी०एस० के माध्यम से आवंटित राशि वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार का राज्यादेश/स्वीकृतादेश संख्या 1664 दिनांक 26.10.2018 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
3. चेक/आर०टी०जी०एस० के माध्यम से आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
4. बिहार वित्तीय नियामवली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।
5. किसी भी परिस्थिति में चेक/आर०टी०जी०एस० के माध्यम से आवंटित राशि दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
6. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
7. इसकी सूचना महालेखाकार(ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
8. उपर्युक्त चेक/आर०टी०जी०एस० के माध्यम से आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
9. चेक/आर०टी०जी०एस० के माध्यम से आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
10. यह चेक/आर०टी०जी०एस० के माध्यम से आवंटित राशि कतिपय जिलों के समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं संबंधित एजेंसी द्वारा निदेशालय में सौंपे गये अभिश्रव/अधियाचना पत्र के आलोक में निर्गत किया जाता है।
11. इस राशि का भुगतान एकरारनामा में निहित शर्तों के आलोक में नियमानुसार किया जाय।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)  
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :- 17-योजना (विविध)-49/2018.....1680 पटना, दिनांक 31-10-2018

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-योजना (विविध)-49/2018.....1680 पटना, दिनांक 31-10-2018

प्रतिलिपि :- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी संबंधित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-योजना (विविध)-49/2018.....1680 पटना, दिनांक 31-10-2018

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-योजना (विविध)-49/2018.....1680 पटना, दिनांक 31-10-2018

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना एवं श्री संतोष कुमार, लेखापाल, बी0पी0एम0यू0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि संबंधित जिलों को चेक/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से भुगतान करने से संबंधित कार्रवाई की जाय।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण